निष्पादित पंजीकृत बेचाननामा के आधार पर हरीराम पुत्र नेनाराम जाति मेघवाल का नाम दर्ज किया जाना लेकिन हरीराम पुत्र नेनाराम के दिनांक 20.04.1995 को फौत हो जाने से अब हरीराम पुत्र नैनाराम के स्थान पर उनके विधिक वारिसानों के नाम दर्ज कर रेकर्ड दुरूस्ती के साथ वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2421/1820 रकबा 05-00 बीघा में वादीगण के हक अधिकारों की घोषणा करते हुए वादीगण को वादग्रस्त आराजी का खातेदार अभिधारी घोषित करना विधि संगत एवं उचित समझते है।

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त समग्र विवेचन के आलोक में वादवादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तथा धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा बलुन्दा, पटवार हल्का- बलुन्दा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आ0कालू, तहसील-जैतारण जिला ब्यावर के खसरा नम्बर 2421/1820 के भू राजस्व अभिलेख में दर्ज विधि विरूद्ध, गलत एवं त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि ''नसीबन पत्नी दीदार खां कौम सांई'' को विलोपित करते हुए इसके स्थान पर दिनांक 13.02.1986 को उक्त आराजी के पूर्व खातेदार शफी मोहम्मद द्वारा निष्पादित पंजीकृत बेचाननामा के आधार क्रेता हरीराम पुत्र नेनाराम जाति मेघवाल को खातेदार अभिधारी घोषित किया जाता है चुंकि क्रेता हरीराम दिनांक 20.04.1995 को फौत हो चुके है इसलिए इनके स्थान पर इनके विधिक वारिसान अर्थात वादीगण को वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2421/1820 रकबा 05-00 बीघा किस्म बारानी अव्वल का खातेदार अभिधारी घोषित किया जाता है। तहसीलदार जैतारण को निर्देश दिए जाते है कि भू-अभिलेख में इसी मुताबिक इन्द्राज करते हुए भू-अभिलेख को अध्यतन एवं परिशुद्ध करें व इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कद्र निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(रविप्रकाश RAS)
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-ब्यावर)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

निर्णय आज दिनांक 06/02/2025 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(रविप्रकाश RAS)
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-ब्यावर)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)